कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 112 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी–1(आवंटन) / कैम्प — दिनांकः 06 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/II-2-irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 60704)/I/214073/2024, दिनांक 29.05.2024 द्वारा अनुदान संख्या–20 के पूंजी लेखा मद के मुख्य लेखाशीर्षक 4701 में जल संवर्द्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 42.31 लाख (₹ बयालीस लाख इक्तीस हजार मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वतन पर रखते हुये किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 42.31 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार / खण्डवार / योजनावार / मदवार निम्नानुसार किया जाता है:–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. स.	मद का विस्तृत विवरण / खण्ड का नाम / योजना का नाम	आवंटित धनराशि
क	20 / 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 07–जल संवर्द्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण, 00– ,53–वृहद निर्माण **(4701–00–001–02–00–53)**	
	मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, अल्मोड़ा	
	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण में लेलु गांव में जलाशय के निर्माण की प्रयोजना।	5.00
	योग सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	**5.00**
	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	
1	जनपद अल्मोडा के विकास खण्ड द्वाराहाट में गगास बैराज का निर्माण **(पुनरीक्षित योजना)।**	**37.31**
	योग सिंचाई खण्ड रानीखेत	**37.31**
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, अल्मोडा	**42.31**

(₹ बयालीस लाख इक्तीस हजार मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/II-2-irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 60704)/I/214073/2024, दिनांक 29.05.2024 में उल्लिखित निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:–

1. उक्तानुसार अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
2. धनराशि आवंटित करने से पहले प्रत्येक कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उस भौतिक प्रगति का सत्यापन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा । व मानकानुसार पाये जाने व भौतिक प्रगति उचित पाये जाने के उपरान्त ही धनावंटन किया जायेगा।

3. अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग विलम्बतम् दि0 31.03.2025 तक कर लिया जा यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पि किया जायेगा ।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नही की गई है । अर्थात दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो । यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. निर्माणाधीन योजनाओं हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक का वित्तीय व भौतिक प्रगति, फोटाग्राफ सहित आवश्यक रूप से 15 जुलाई 2024 तक उपलब्ध कराया जाय उक्त विवरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 112/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1/तदिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

1. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, अल्मोड़ा ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा ।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़/रानीखेत ।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता